



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042024-253836
CG-DL-E-24042024-253836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1685]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2024/वैशाख 3, 1946

No. 1685]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2024/VAISAKHA 3, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2024

का.आ. 1772(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए, चार अधिक आयमी खेपों, का रायगढ़, महाराष्ट्र से अलीबाग, महाराष्ट्र तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में, चार अधिक आयमी खेपों के परिवहन के लिए, मेसर्स आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1.	एचआर-55जी-6419	वोल्वो (एचपी 520)
2.	एचआर-55एच-2992	वोल्वो (एचपी 520)
3.	जीजे-16 एडब्ल्यू-4181	वोल्वो (एचपी 520)

4.	जीजे-16 एडब्ल्यू-4472	वोल्वो (एचपी 520)
5.	जीजे-16 एडब्ल्यू-4245	वोल्वो (एचपी 520)
6.	एचआर-55एन-5243	वोल्वो (एचपी 520)
7.	एचआर-55एन-5244	वोल्वो (एचपी 520)
8.	केए-01 एएम-7044	स्कैनिया-जी500
9.	जीजे-12एयू-9693	वोल्वो (एचपी 520)
10.	जीजे-12एयू-9639	वोल्वो (एचपी 520)
11.	एमएच-06 एक्यू-8261	वोल्वो (एचपी 520)
12.	एमएच-06 एक्यू-8262	वोल्वो (एचपी 520)
13.	एमएच-06 एक्यू-8263	वोल्वो (एचपी 520)
14.	एमएच-06 एक्यू-8264	वोल्वो (एचपी 520)
15.	एमएच-06 एक्यू-9262	वोल्वो (एचपी 520)
16.	एमएच-06 एक्यू-9263	वोल्वो (एचपी 520)
17.	जीजे-1डीवी-5499	वोल्वो (एचपी 520)
18.	जीजे-01सीवी-5599	वोल्वो (एचपी 520)
19.	जीजे-27टीटी-0521	वोल्वो (एचपी 520)
20.	जीजे-27टीटी-1609	वोल्वो (एचपी 520)
21.	जीजे-27वी-4717	वोल्वो (एचपी 520)
22.	एपी-35वी-9277	वोल्वो (एचपी 520)
23.	एनएल-01एए-0869	वोल्वो (एचपी 440)
24.	जीजे-01डीएक्स-4499	वोल्वो (एचपी 520)
25.	जीजे-01 डीएक्स-4491	वोल्वो (एचपी 520)
26.	एमएच-46एच-3651	वोल्वो (एचपी 520)

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्ते माल किए जाएंगे:-

क्रम सं	ट्रेलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	एचआर-55क्यू-9901	गोल्डहोफर	6	156
2.	एचआर-55क्यू-9902	गोल्डहोफर	8	208
3.	एचआर-55क्यू-9903	गोल्डहोफर	6	156
4.	एचआर-55क्यू-9904	गोल्डहोफर	8	208
5.	एचआर-55पी-6278	गोल्डहोफर	6	156
6.	एचआर-55पी-6279	गोल्डहोफर	4	104
7.	एचआर-55पी-6281	गोल्डहोफर	4	104
8.	एचआर-55पी-6280	गोल्डहोफर	6	156
9.	एचआर-55पी-6282	गोल्डहोफर	8	208
10.	एचआर-55एएल-2610	गोल्डहोफर एसपीएमटी	6	156

क्रम सं	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
11.	एचआर-55एएल-1865	गोल्डहोफर एसपीएमटी	6	156
12.	डीडी-01एल-9685	गोल्डहोफर एसपीएमटी	6	156
13.	एचआर-39ई-0510	टीआईआई	4	104
14.	एचआर-39ई-7623	टीआईआई	4	104
15.	एचआर-39ई-8531	टीआईआई	6	156
16.	एचआर-39ई-5643	टीआईआई	2	52
17.	एचआर-39ई-6308	टीआईआई	6	156
18.	एचआर-39ई-5668	टीआईआई	6	156
19.	एचआर-39ई-5748	टीआईआई	4	104
20.	एचआर-39ई-2045	टीआईआई	6	156
21.	एचआर-39ई-1549	टीआईआई	6	156
22.	एचआर-39ई-8059	टीआईआई	6	156
23.	एचआर-55 एजे-0038	टीआईआई	6	156
24.	एचआर-55 एएल-0038	टीआईआई	6	104
25.	एचआर-55 एएन-0038	टीआईआई	4	156
26.	एचआर-55 एबी-0038	टीआईआई	4	156
27.	एचआर-55 एसी-0038	टीआईआई	4	156
28.	एचआर-55 एडी-0038	टीआईआई	4	156
29.	एचआर-55 एई-0038	टीआईआई	6	104
30.	जीजे-12एयू-8365	गोल्डहोफर	6	156
31.	जीजे-12एयू-8368	गोल्डहोफर	6	156
32.	जीजे-12एयू-8364	गोल्डहोफर	4	104
33.	जीजे-12एयू-8367	गोल्डहोफर	4	104
34.	एमएच-46एच-2217	गोल्डहोफर	4	104
35.	एमएच-46एच-2218	गोल्डहोफर	4	104
36.	एमएच-46एच-2219	गोल्डहोफर	6	156
37.	एमएच-46एच-2220	गोल्डहोफर	6	156
38.	एमएच-46एच-2398	गोल्डहोफर	4	104
39.	एमएच-06-एक्यू-8551	गोल्डहोफर	6	156
40.	एमएच-06-एक्यू-8552	गोल्डहोफर	6	156
41.	एमएच-06-एक्यू-8553	गोल्डहोफर	4	104
42.	एमएच-06-एक्यू-8554	गोल्डहोफर	4	104
43.	एमएच-46एच-0601	गोल्डहोफर	4	104
44.	एमएच-46एच-0602	गोल्डहोफर	4	104

क्रम सं	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
45.	एमएच-46-एच-0603	गोल्डहोफ़र	8	208
46.	एमएच-46-बीएम-2839	गोल्डहोफ़र	6	156
47.	एमएच-46-बीएम-2840	गोल्डहोफ़र	3	78
48.	एमएच-46-बीएम-2841	गोल्डहोफ़र	3	78
49.	एमएच-46-बीएम-2842	गोल्डहोफ़र	3	78
50.	एमएच-46-बीएम-2843	गोल्डहोफ़र	3	78
51.	एमएच-46-बीएम-2845	गोल्डहोफ़र	4	104
52.	एमएच-46-बीएम-2846	गोल्डहोफ़र	4	104
53.	एमएच-46-बीएम-2847	गोल्डहोफ़र	4	104
54.	एचआर-38एडी-4533	टीआईआई	6 ½	234
55.	एचआर-38 एडी-9971	टीआईआई	6 ½	234
56.	एचआर-55एजी-8096	टीआईआई	6	156
57.	एचआर-38वाई-1969	टीआईआई	4	104
58.	एचआर-38जेड-3887	टीआईआई	4	104
59.	एचआर-38जेड-1559	टीआईआई	4	104
60.	एचआर-55एजी-4367	टीआईआई	6	156
61.	एचआर-38जेड-1642	टीआईआई	4	104
62.	एचआर-38जेड-9122	टीआईआई	4	104
63.	एचआर-55एजी-5232	टीआईआई	2	52
64.	एचआर-55एजी-4994	टीआईआई	6	156
65.	एचआर-55एच-4657	टीआईआई	8	208
66.	एचआर-55 एडी-0970	टीआईआई	4	104
67.	एचआर-38 एडी-7275	टीआईआई	4	104
68.	एचआर-55एच-6821	टीआईआई	8	208
69.	एचआर-38वाई-9156	टीआईआई	6	156
70.	डीडी-01सी-9928	टीआईआई	6 ½	234
71.	डीडी-01सी-9232	टीआईआई	4 ½	156
72.	एचआर-38जेड-0532	टीआईआई	6	156
73.	एचआर-38 जेड-6897	टीआईआई	4	104
74.	एचआर-38वाई-9146	टीआईआई	6	156
75.	एचआर-38वाई-4151	टीआईआई	4	104
76.	एचआर-38जेड-4737	टीआईआई	2	52
77.	एचआर-38जेड-5658	टीआईआई	4	104
78.	एचआर-55एजी-2982	टीआईआई	2	52

क्रम सं.	ट्रैलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रैलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
79.	एचआर-38एडी-8395	टीआईआई	6	156
80.	एचआर-38 एडी-0979	टीआईआई	6	156
81.	डीडी-01सी-9940	टीआईआई	6	156
82.	डीडी-01सी-9677	टीआईआई	4	104
83.	एचआर-55एफ-0038	टीआईआई	6	156
84.	डीडी-01 एस-5933	गोल्डहोफर एसपीएमटी	4	104
85.	डीडी-01 एस-9938	गोल्डहोफर एसपीएमटी	4	104
86.	डीडी-01आर-9044	गोल्डहोफर एसपीएमटी	6	156

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

क्रम सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	यान की लदान के साथ ऊँचाई (मीटर में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
							लं (मी)	चौ (मी)	ऊँ (मी)	
1	एएसएमई कोड वेसेल	126+ 7.8 (सहायक भार)= 133.8	294	427.8	15.28	11.50	21.85	10.50	10.0	14+14 धुरी पंक्तियां (28 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		144+ 7.8 (सहायक भार)= 151.8	294	445.8	13.93	11.50	21.85	10.50	10.0	16+16 धुरी पंक्तियां (32 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		162+ 7.8 (सहायक भार)= 169.8	294	463.8	12.88	11.50	21.85	10.50	10.0	18+18 धुरी पंक्तियां (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		95.85+ 7.8 (सहायक भार)= 103.65	294	397.65	14.72	11.50	21.85	10.50	10.0	18(1+1/2) धुरी पंक्तियां (27 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12

क्रम सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	यान की लदान के साथ ऊँचाई (मीटर में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
							लं (मी)	चौ (मी)	ऊँ (मी)	
										टायर प्रति धुरा पंक्ति)
2	रिएक्टर	126+ 7.8 (सहायक भार)= 133.8	330	463.8	16.56	11.72	26.97	7.99	10.22	14+14 धुरी पंक्तियां (28 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		144+ 7.8 (सहायक भार)= 151.8	330	481.8	15.05	11.72	26.97	7.99	10.22	16+16 धुरी पंक्तियां (32 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		162+ 7.8 (सहायक भार)= 169.8	330	499.8	13.88	11.72	26.97	7.99	10.22	18+18 धुरी पंक्तियां (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		95.85+ 7.8 (सहायक भार)= 103.65	330	433.6 5	16.06	11.72	26.97	7.99	10.22	18(1+1/2) धुरी पंक्तियां (27 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
3	टॉप सेक्शन	126+ 7.8 (सहायक भार)= 133.8	260	393.8	14.06	11.42	26.81	10.20	9.92	14+14 धुरी पंक्तियां (28 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		144+ 7.8 (सहायक भार)= 151.8	260	411.8	12.86	11.42	26.81	10.20	9.92	16+16 धुरी पंक्तियां (32 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

क्रम सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	यान की लदान के साथ ऊँचाई (मीटर में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
							लं (मी)	चौ (मी)	ऊँ (मी)	
4	बॉटम सेक्शन	162+ 7.8 (सहायक भार)= 169.8	260	429.8	11.94	11.42	26.81	10.20	9.92	18+18 धुरी पंक्तियों (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		95.85+ 7.8 (सहायक भार)= 103.65	260	363.6 5	13.46	11.42	26.81	10.20	9.92	18(1+1/2) धुरी पंक्तियों (27 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		126+ 7.8 (सहायक भार)= 133.8	130	263.8	9.42	10.87	26.0	5.35	9.37	14+14 धुरी पंक्तियों (28 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		144+ 7.8 (सहायक भार)= 151.8	130	281.8	8.80	10.87	26.0	5.35	9.37	16+16 धुरी पंक्तियों (32 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
4	बॉटम सेक्शन	162+ 7.8 (सहायक भार)= 169.8	130	299.8	8.33	10.87	26.0	5.35	9.37	18+18 धुरी पंक्तियों (36 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (16 टायर प्रति धुरा पंक्ति)
		95.85+ 7.8 (सहायक भार)= 103.65	130	233.65	8.65	10.87	26.0	5.35	9.37	18(1+1/2) धुरी पंक्तियों (27 धुरी पंक्तियों के बराबर) को धुरी की चौड़ाई में जोड़ा जाएगा। (12 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

(i) उपरोक्त अधिक आयामी खेपों का 2.3 किलोमीटर के लिए परिवहन, विशिष्ट मार्ग मेसर्स आईएसजीईसी मैनुफैक्चरिंग साइट, वेल्हावली बस स्टॉप, खानव, रायगढ़ से मेसर्स गेल, यूएसएआर, अलीबाग, महाराष्ट्र तक, सड़क मार्ग के जरिए होगा।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / पुलों / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रैलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रैलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiv) ट्रैलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में रेजिस्ट्रीकृत हैं।

(xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।

(xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/04/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2024

S.O. 1772(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of four over dimensional consignments from Raigad, Maharashtra to Alibag, Maharashtra by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s PRISM logistics Private Limited is the transporter of M/s ISGEC Heavy Engineering Limited, for transportation of four over dimensional consignments for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	HR-55G-6419	Volvo (HP 520)
2.	HR-55H-2992	Volvo (HP 520)
3.	GJ-16AW-4181	Volvo (HP 520)
4.	GJ-16AW-4472	Volvo (HP 520)
5.	GJ-16AW-4245	Volvo (HP 520)
6.	HR-55N-5243	Volvo (HP 520)
7.	HR-55N-5244	Volvo (HP 520)
8.	KA-01AM-7044	SCANIA-G500
9.	GJ-12AU-9693	Volvo (HP 520)
10.	GJ-12AU-9639	Volvo (HP 520)
11.	MH-06AQ-8261	Volvo (HP 520)
12.	MH-06AQ-8262	Volvo (HP 520)
13.	MH-06AQ-8263	Volvo (HP 520)
14.	MH-06AQ-8264	Volvo (HP 520)
15.	MH-06AQ-9262	Volvo (HP 520)
16.	MH-06AQ-9263	Volvo (HP 520)
17.	GJ-1DV-5499	Volvo (HP 520)
18.	GJ-01CV-5599	Volvo (HP 520)
19.	GJ-27TT-0521	Volvo (HP 520)
20.	GJ-27TT-1609	Volvo (HP 520)
21.	GJ-27V-4717	Volvo (HP 520)
22.	AP-35V-9277	Volvo (HP 520)
23.	NL-01AA-0869	Volvo (HP 440)
24.	GJ-01DX-4499	Volvo (HP 520)
25.	GJ-01DX-4491	Volvo (HP 520)
26.	MH-46H-3651	Volvo (HP 520)

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

Sl. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR-55Q-9901	Goldhofer	6	156
2.	HR-55Q-9902	Goldhofer	8	208
3.	HR-55Q-9903	Goldhofer	6	156
4.	HR-55Q-9904	Goldhofer	8	208
5.	HR-55P-6278	Goldhofer	6	156
6.	HR-55P-6279	Goldhofer	4	104
7.	HR-55P-6281	Goldhofer	4	104
8.	HR-55P-6280	Goldhofer	6	156
9.	HR-55P-6282	Goldhofer	8	208
10.	HR-55AL-2610	Goldhofer SPMT	6	156
11.	HR-55AL-1865	Goldhofer SPMT	6	156
12.	DD-01L-9685	Goldhofer SPMT	6	156
13.	HR-39E-0510	TII	4	104
14.	HR-39E-7623	TII	4	104
15.	HR-39E-8531	TII	6	156
16.	HR-39E-5643	TII	2	52
17.	HR-39E-6308	TII	6	156
18.	HR-39E-5668	TII	6	156
19.	HR-39E-5748	TII	4	104
20.	HR-39E-2045	TII	6	156
21.	HR-39E-1549	TII	6	156
22.	HR-39E-8059	TII	6	156
23.	HR-55AJ-0038	TII	6	156
24.	HR-55AL-0038	TII	6	104
25.	HR-55AN-0038	TII	4	156
26.	HR-55AB-0038	TII	4	156
27.	HR-55AC-0038	TII	4	156
28.	HR-55AD-0038	TII	4	156
29.	HR-55AE-0038	TII	6	104
30.	GJ-12AU-8365	Goldhofer	6	156
31.	GJ-12AU-8368	Goldhofer	6	156
32.	GJ-12AU-8364	Goldhofer	4	104
33.	GJ-12AU-8367	Goldhofer	4	104
34.	MH-46H-2217	Goldhofer	4	104
35.	MH-46H-2218	Goldhofer	4	104
36.	MH-46H-2219	Goldhofer	6	156
37.	MH-46H-2220	Goldhofer	6	156
38.	MH-46H-2398	Goldhofer	4	104
39.	MH-06-AQ-8551	Goldhofer	6	156
40.	MH-06-AQ-8552	Goldhofer	6	156
41.	MH-06-AQ-8553	Goldhofer	4	104
42.	MH-06-AQ-8554	Goldhofer	4	104
43.	MH-46H-0601	Goldhofer	4	104
44.	MH-46H-0602	Goldhofer	4	104
45.	MH-46-H-0603	Goldhofer	8	208
46.	MH-46-BM-2839	Goldhofer	6	156
47.	MH-46-BM-2840	Goldhofer	3	78
48.	MH-46-BM-2841	Goldhofer	3	78
49.	MH-46-BM-2842	Goldhofer	3	78
50.	MH-46-BM-2843	Goldhofer	3	78
51.	MH-46-BM-2845	Goldhofer	4	104
52.	MH-46-BM-2846	Goldhofer	4	104
53.	MH-46-BM-2847	Goldhofer	4	104
54.	HR-38AD-4533	TII	6 ½	234
55.	HR-38AD-9971	TII	6 ½	234

Sl. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
56.	HR-55AG-8096	TII	6	156
57.	HR-38Y-1969	TII	4	104
58.	HR-38Z-3887	TII	4	104
59.	HR-38Z-1559	TII	4	104
60.	HR-55AG-4367	TII	6	156
61.	HR-38Z-1642	TII	4	104
62.	HR-38Z-9122	TII	4	104
63.	HR-55AG-5232	TII	2	52
64.	HR-55AG-4994	TII	6	156
65.	HR-55AH-4657	TII	8	208
66.	HR-55AD-0970	TII	4	104
67.	HR-38AD-7275	TII	4	104
68.	HR-55AH-6821	TII	8	208
69.	HR-38Y-9156	TII	6	156
70.	DD-01C-9928	TII	6 ½	234
71.	DD-01C-9232	TII	4 ½	156
72.	HR-38Z-0532	TII	6	156
73.	HR-38Z-6897	TII	4	104
74.	HR-38Y-9146	TII	6	156
75.	HR-38Y-4151	TII	4	104
76.	HR-38Z-4737	TII	2	52
77.	HR-38Z-5658	TII	4	104
78.	HR-55AG-2982	TII	2	52
79.	HR-38AD-8395	TII	6	156
80.	HR-38AD-0979	TII	6	156
81.	DD-01C-9940	TII	6	156
82.	DD-01C-9677	TII	4	104
83.	HR-55AF-0038	TII	6	156
84.	DD-01S-9523	Goldhofer SPMT	4	104
85.	DD-01S-9938	Goldhofer SPMT	4	104
86.	DD-01R-9044	Goldhofer SPMT	6	156

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

Sl. No.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle(MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
							L (m)	W (m)	H (m)	
1	ASME CODE VESSEL	126+ 7.8 (Auxiliary weight)= 133.8	294	427.8	15.28	11.50	21.85	10.50	10.0	14+14 axle rows (equivalent to 28 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		144+ 7.8 (Auxiliary weight)= 151.8	294	445.8	13.93	11.50	21.85	10.50	10.0	16+16 axle rows (equivalent to 32 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		162+ 7.8 (Auxiliary weight)= 169.8	294	463.8	12.88	11.50	21.85	10.50	10.0	18+18 axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		95.85+ 7.8 (Auxiliary weight)= 103.65	294	397.65	14.72	11.50	21.85	10.50	10.0	18(1+1/2) axle rows (equivalent to 27 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)
2	Reactor	126+ 7.8 (Auxiliary weight)= 133.8	330	463.8	16.56	11.72	26.97	7.99	10.22	14+14 axle rows (equivalent to 28 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		144+ 7.8 (Auxiliary weight)=	330	481.8	15.05	11.72	26.97	7.99	10.22	16+16 axle rows (equivalent to 32 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)

Sl. No.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle(MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
							L (m)	W (m)	H (m)	
		151.8								row)
		162+ 7.8 (Auxiliary weight)= 169.8	330	499.8	13.88	11.72	26.97	7.99	10.22	18+18 axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		95.85+ 7.8 (Auxiliary weight)= 103.65	330	433.65	16.06	11.72	26.97	7.99	10.22	18(1+1/2) axle rows (equivalent to 27 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)
3	Top Section	126+ 7.8 (Auxiliary weight)= 133.8	260	393.8	14.06	11.42	26.81	10.20	9.92	14+14 axle rows (equivalent to 28 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		144+ 7.8 (Auxiliary weight)= 151.8	260	411.8	12.86	11.42	26.81	10.20	9.92	16+16 axle rows (equivalent to 32 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		162+ 7.8 (Auxiliary weight)= 169.8	260	429.8	11.94	11.42	26.81	10.20	9.92	18+18 axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		95.85+ 7.8 (Auxiliary weight)= 103.65	260	363.65	13.46	11.42	26.81	10.20	9.92	18(1+1/2) axle rows (equivalent to 27 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)
4	Bottom Section	126+ 7.8 (Auxiliary weight)= 133.8	130	263.8	9.42	10.87	26.0	5.35	9.37	14+14 axle rows (equivalent to 28 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		144+ 7.8 (Auxiliary weight)= 151.8	130	281.8	8.80	10.87	26.0	5.35	9.37	16+16 axle rows (equivalent to 32 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		162+ 7.8 (Auxiliary weight)= 169.8	130	299.8	8.33	10.87	26.0	5.35	9.37	18+18 axle rows (equivalent to 36 axle rows) will be coupled in axle width. (16 tyres per axle row)
		95.85+ 7.8 (Auxiliary weight)= 103.65	130	233.65	8.65	10.87	26.0	5.35	9.37	18(1+1/2) axle rows (equivalent to 27 axle rows) will be coupled in axle width. (12 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- i. The specific route for transportation of these over dimensional consignments will be from M/s ISGEC Manufacturing site, Welhaveli bus stop, Khanav, Raigad to M/s GAIL, USAR, Alibagh, Maharashtra by Road for 2.3 Kms.
- ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHDICL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHDICL may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHDICL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s PRISM logistics Private Limited.

- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHDICL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHDICL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHDICL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Andhra Pradesh, Haryana, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and union territory of Daman and Diu.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/04/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.